न्यायालय उपजिलाधिकारी फूलपुर इलाहाबाद

वाद संख्या t201602030 22012
अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0रा0स0 2006
मौजा औरहा उपरहार परगना झूंसी
तहसील फूलपुर जनपद इलाहाबाद

प्रयाग महा विद्यालय शिव मंगल
नगर हेता पट्टी आदि बनाम गांवसभा

निर्णय:-

प्रस्तुत वाद प्रयाग महा विद्यालय शिव मंगल नगर हेता पट्टी इलाहावाद द्वारा प्रबन्धक श्री अमरनाथ तिवारी पुत्र सालिक राम तिवारी नि0 ग्राम दरियापुर उर्फ गुलालपुर परगना झूंसी व राजाराम तिवारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिव मंगल नगर गुलालपुर हेता पट्टी परगना झूंसी द्वारा प्रबन्धक श्री अमर नाथ तिवारी पुत्र सालिक राम तिवारी नि0 गुंलालपुर उर्फ दरियापुर परगना झूंसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर योजित हुआ। जिसमें कहा गया है कि मौजा औरहा उपरहार परगना झूंसी में स्थित आराजी संख्या 8 रका 1.974हे0 व 9क रकवा 0.1370हे0, 11 रकबा 2.249हे0 व 97 रकबा 0.1960हे0 व 98 रकबा 0.352हे0 वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर विद्यालय/महा विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय का कब्जा दखल है प्रश्नगत भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है। अतः उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किया जाय। नियमानुसार तहसीलदार फूलपुर से जांच आख्या आहूत की गयी तहसीलदार फूलपुर ने अपनी जांच आख्या में कहा है कि मौजा औरहा उपरहार परगना झूंसी की खतौनी वर्ष 1422 लगायत 1427 फसली की खाता संख्या 175 आराजी संख्या 8 रका 1.974हे0 व 9क रकवा 0.1370हे0 11 रकबा 2.249हे0 व 97 रकबा 0.1960हे0 व 98 रकबा 0.352हे0 वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त आराजी संख्या 8 मि0 रकवा 1.974हे0 में से रकवा 0.987हे0 व गाटा संख्या 9क मि0 रकबा 0.137हे0 में से रकवा 0.068हे0 व गाटा संख्या 11 मि0 रकवा 2.249हे0 में से रकबा 1.000हे0 पर महा विद्यालय निर्माणाधीन है उपरोक्त गाटों में कृषि कार्य नहीं होता है। तहसीलदार फूलपुर द्वारा उपरोक्त आराजियात को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है। वादी ने अपने साक्ष्य में कम्प्युटरीकृत खतौनी 1422 लगायत 1427 फसली आकार पत्र 41-45 जो0 च0 आकार पत्र की नकल तथा 1359 फसली की नकल एवं उक्त आराजी की फोटो दाखिल कर अपना साक्ष्य पूर्ण किया। उपरोक्त के आधार पर उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है।

आदेश:-

अतः आदेश हुआ कि मौजा औरहा उपरहार परगना झूंसी की वर्तमान खतौनी 1422 लगायत 1427 फसली की खाता संख्या 175 की आराजी संख्या 8 मि0 रकबा 1.974हे0 में से रकबा 0.987हे0 व गाटा संख्या 9 क मि0 रकबा 0.137हे0 में से रकबा 0.068हे0 व गाटा संख्या 11 मि0 रकबा 2.249हे0 में से रकबा 1.000हे0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या दिनांक 25.03.2016 आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति उप निवन्धक फूलपुर को आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित की जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

31. 03. 16.

राज कुमार द्विवेदी
उपजिलाधिकारी, फूलपुर
इलाहाबाद

Principal
A. N. Tiwari Pharmacy College
Aurha Uparhar, Hetapatti
Prayagraj